नागरिक अधिकार पत्र
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

<u>उद्‌देश्य :</u>

राज्य की चहुँमुखी प्रगति में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका है। राज्य सरकार के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिये नये–नये कदम उठाने के फलस्वरूप राज्य के औद्योगीकरण में गति आई है। कारखानों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग एवं नये रसायनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये भी नई चुनौतियॉं आई है। इस विभाग का मुख्य कार्य औद्योगिक श्रमिकों के लिये सुरक्षित कार्यस्थिति एवं स्वच्छ कार्यवातावरण उपलब्ध करवाने हेतु निगरानी करना तथा श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाऍं उपलब्ध कराना है।

<u>विभाग की भूमिका :</u>

- उपरोक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर अधिनियम 1923, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित धाराओं, नियमों व उपनियमों की पालना कारखाना प्रबन्धकों से करवाना।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी प्रावधानों की अनुपालना करवाने हेतु राज्य में स्थापित कारखानों एवं बालयर्स का नियमित निरीक्षण करश्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन एवं प्रमाण–पत्र जारी करना।
- कारखानों में नये स्थापित बालयर्स के पंजीयन सम्बन्धी कार्यवाही करना एवं पूर्वस्थापित बायलर्स का सामयिक निरीक्षण कर प्रमाण–पत्र जारी करना।
- बायलर ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स एवं बायलर अटेण्डेन्ट्स रूल्स के अन्तर्गत परीक्षाऍं आयोजित करना।
- कारखानों में प्रयोग किये जाने वाले रसायन एवं विषैले पदार्थें की कार्यवातावरण में अनुज्ञेय सीमा सुनिश्चित करना।
- कारखाना प्रबन्धकों, सुपरवाइजरों एवं श्रमिकों में औद्योगिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- राज्य की औद्योगिक नीति में विभागीय दायित्व को लागू करना।

नागरिक अधिकार पत्र

विभिन्न अधिनियमों के तहत श्रमिकों को प्राप्त सुविधाऍं एवं अधिकार
कारखाना अधिनियम, 1948:

कारखाना अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होता है जिनमें :

- 10 या अधिक श्रमिक पावर की सहायता से अथवा 20 या अधिक श्रमिक बिना पावर की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया पर कार्यरत हों।
- आरा मशीन, कॉटन, जिनिंग, केमीकल वर्क्स एवं ऐसबेस्टोज हैण्डलिंग करने वाले कारखानों में 10 से कम श्रमिक नियोजित होने पर भी लागू होता है।

<u>अधिकार :</u>

- कार्य पर श्रमिक के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी मालिक से प्राप्त करने का अधिकार।
- श्रमिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यविधि के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
- कारखानों में स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में निरीक्षक को प्रतिवेदन का अधिकार।
- श्रमिकों के कार्य के घण्टे सप्ताह में 48 व प्रत्येक दिन 9 तक सीमित रखना।
- अधिसमय का सामान्य से दुगनी दर पर भुगतान।
- प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश।
- प्रत्येक पारी में लगातार 5 घण्टे कार्य करने पर आधे घण्टे का विश्राम।
- 20 दिवस कार्य करने पर एक दिन का सवेतन अवकाश।
- सवेतन अवकाश पुस्तिका प्राप्ति का अधिकार।

- पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था।
- चालू मशीनों की परीक्षा लुब्रीकेशन आदि करने वाले निर्धारित श्रमिकों को चुस्त पोशाक।
- ऑखों के बचाव हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं पर कार्य करने वाले श्रमिकों को समुचित गोगल्स की व्यवस्था।
- निर्धारित परिसंकटमय प्रक्रिया वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की नियमित निःशुल्क जॉच की सुविधा।
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सभी कारखानों में एवं 500 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में एम्बुलेन्स रूम मय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
- सामान्यतया 250 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों को केन्टीन की सुविधा।
- सामान्यतया 150 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों के लिए विश्रामगृह, भोजनकक्ष की सुविधा।
- सामान्यतया 30 से अधिक महिला कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में महिला श्रमिकों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशुकक्ष की सुविधा।
- महिला श्रमिकों से सांय 7 बजे से प्रात' 6 बजे तक कार्य नहीं लिया जाना।
- परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर काम करने वाले श्रमिकों को समुचित व्यक्तिगत बचाव उपकरण उपलब्ध करवाया जाना।
- प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रस्तुत करने वाले कारखानों से संभावित खतरों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का आसपास के प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को अधिकार।

कारखाना अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत श्रमिकों का दायित्व :

- कारखाने में श्रमिक सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपलब्ध कराये गये उपकरणों वसुविधाओं आदि का जानबूझकर दुरुपयोग एवं हस्तक्षेप नहीं करना।
- जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उनके स्वयं या अन्य के खतरे में पड़ने की संभावना हो।
- व्यक्तिगत बचाव उपकरणों की उपेक्षा न करना एवं मशीन गार्ड या बाढ़ आदि को नहीं हटाना।

<u>भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 :</u>

- यह अधिनियम ऐसे बंद पात्र (Closed Vessels) पर लागू होता है जिसकी पानी की भराव क्षमता 22.75 लीटर या अधिक हो एवं जो दाब पर वाष्प (Steam) बनाने के उपयोग में लाया जाता हो।

मुख्य प्रावधान :

- ऐसे बायलर ही जो इण्डियन बायलर रेगूलेशन, 1950 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार बनाये गये हों, चलाये जासकते हैं।
- ऐसे बायलर बनाने वाली फर्म बायलर का फोल्डर (मैन्यूफैक्चरिंग सर्टिफिकेट एवं सर्टिफाइड ड्राइंग आदि) क्रेता को बायलर के साथ देती है। कारखाना मालिक बायलर के पंजीयन हेतु उक्त मूल दस्तावेज मुख्य निरीक्षक के कार्यालय में मय निर्धारित शुल्क के प्रेषित करें।
- पूर्व में पंजीकृत बायलर ख्रीदते समय उनके निरीक्षण हेतु बायलर का पूर्व का प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, निर्धारित निरीक्षण शुल्क एवं बायलर कारिकार्ड स्थानान्तरण करवाने का आवेदन प्रेषित करें।
- स्टीम पाइप लाइन के नक्शे तीन प्रतियों में मय शुल्क के प्रेषित करें।
- पंजीकृत एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त शुदा बायलर ही कारखाने में चलाया जाए।
- प्रमाण–पत्र में स्वीकृत प्रेशर से अधिक पर बायलर नहीं चलाया जाए।
- क्वालीफाइड बायलर अटेन्डेन्ट द्वारा ही बायलर चलाया जाए।
- 7,500 वर्ग फीट रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले बायलर को क्वालिफाइड बायलर ऑपरेशन इंजीनियर की देखरेख में ही चलाया जाए।

<u>वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :</u>

यह अधिनियम रुपये 1600/– तक मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों पर लागू होता है।

श्रमिक अधिकार :

- निश्चित निर्धारित समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार।
- वेतन में से अनाधिकृत कटौतियों अथवा वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में पूर्ण राशि मय क्षतिपूर्ति राशि के पाने का अधिकार।

- वेतन भुगतान में देरी होने परक्षतिपूर्ति सहित वेतन पाने का अधिकार।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 :

यह लाभ उन्हीं महिला श्रमिकों को देय है :

- जिन्होंने प्रसव की अनुमानित तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान उसी कारखाने में कम से कम 80 कार्य–दिवस कार्य किया हो, तथा
- जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत ऐसे लाभ प्राप्त नहीं हो।

श्रमिक अधिकार :

- किसी भी महिला श्रमिक के प्रसव एवं मिस केरेज होने की दशा में 6 सप्ताह पूर्व एवं 6 सप्ताह बाद भी कार्य न करने का प्रसूति अवकाश प्राप्त करने का अधिकार।
- सवैतनिक प्रसूति लाभ प्राप्त करने का अधिकार।
- प्रसव से उत्पन्न लम्बी बीमारी होने की दशा में एक माह अतिरिक्त अवकाशका अधिकार।

राज्य की औद्योगिक नीति के तहत विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के लिए समयबद्ध निस्तारण की अवधिः

• परिसंकटमय प्रक्रियावाले कारखाने के लिए स्थल स्वीकृति जारी करना।	नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 45 दिवस में।
• कारखानों के नक्शों का कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अनुमोदन।	नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस में।
• कारखाना चलाने बाबत अनुज्ञा–पत्र जारी करना।	नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस में।
• मुख्य निरीक्षक बायलर्स द्वारा बायलर का पंजीयन	नियमानुसार पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्ति पश्चात् मापदण्डों पर सही पाये जाने की स्थिति में।
• प्रोविजनल ऑर्डर	15 दिवस में।
• फाइनल ऑर्डर	45 दिवस में।

उपरोक्त स्वीकृतियों के लिए आवेदन के साथ निम्न सूचनायें/दस्तावेज प्रेषित किए जाएँ।

नक्शों के अनुमोदन हेतु :

- नक्शे तीन प्रतियों में (अमोनिया अथवा ब्लू प्रिन्ट में) निर्धारित पैमाने (साइट प्लान 1:500 व विस्तृत प्लान एलीवेशन आदि 1:100) में मालिक या मैनेजर के हस्ताक्षर युक्त।
- नक्शों में कारखाना भवन में समुचित प्रकाश व हवा के आवागमन की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, पीने के पानी, शैचालय, पेशाबघर, स्नानघर, वाशिंग सुविधा आदि नक्शों में दिखाई जाए।
- कैन्टीन, रेस्टरूम, शिशुशाला एवं एम्बुलेन्स रूम आदि की सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर दर्शाई जाएँ।
- निर्माण प्रक्रिया कास्पष्ट विवरण मय प्रोसेस फ्लो चार्ट।
- निर्माण प्रक्रिया में काम लिये जाने वाले रसायनिक पदार्थे की सूची मय उनकी भण्डारण क्षमता।
- प्रत्येक पारी में संभावित नियोजित किये जाने वाले पुरुष व महिला श्रमिकों की संख्या।
- प्रपत्र संख्या 1 पूर्ण रूप से भरकर प्रेषित करें।
- रसायनिक व खतरनाक प्रकिया वाले कारखानों के प्रकरण में निम्न अतिरिक्त सूचनाएँ संलग्न की जाएँ:
    - कारखाने में काम आने वाले रसायनों, इंटरमीडियट्स, सहउत्पाद व अंतिम उत्पादों के काम में लेने, भण्डारण करने एवं इनके हैण्डलिंग में सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी। इन रसायनों की मैटेरियल सेफ्टी डेटा शीट भी संलग्न की जाए।
    - निर्माण प्रकिया में क्रिटिकल, प्रोसेस पैरामीटर्स जैसे प्रेशर बढ़ना, तापमान का परिवर्तन व केमीकल रीएक्शन आदि की सूचना।
    - प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रस्तुत करने वाले कारखानों द्वारा ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान, सेफ्टी रिपोर्ट एवं नोटिफिकेशन ऑफ साइट।
- राज्य सरकार द्वारा नये उद्यमियों की सुविधा हेतु शुरू की गई एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत सिंगल कम्पोजिट आवेदन फार्म में भी पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- निर्धारित प्रपत्र संख्या 2 तीन प्रतियों में पूर्ण भरकर मय निर्धारित शुल्क के प्रेषित करें।

- नवीनीकरण हेतु 1 से 5 वर्ष तक के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दो माह पूर्व (31 जनवरी तक) नवीनीकरण हेतु आवेदन कर देना चाहिए अन्यथा 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय।
- विभाग द्वारा पंजीयन एवं स्वीकृतियों के आवेदन के सम्बन्ध में उद्यमियों हेतु निर्देशिका जारी की हुई है जो विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय एवं जिलाउद्योग संघों पर उपलब्ध है।

——